न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 05/2015

नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर, जिला अजमेर ।

.........प्रार्थी

बनाम

1– जतनलाल पुत्र अम्बालाल, जाति हरिजन, निवासी बडी बस्ती, पुष्कर, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्तीकरण आवंटन

उपस्थित :–

1. श्री बसन्त कुमार बिजवर्गीय, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री इन्द्रेश के.रामचन्दानी अभिभाषक अप्रार्थी
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर राजकीय पेरोकार

–: आदेश :–

दिनांक– 13.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि नगर पालिका पुष्कर को जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व/एफ–12(सी)/12/181 दिनांक 12.11.2012 को पुष्कर क्षेत्र स्थित सिवायचक भूमियाँ कुल खसरा 370 रकबा 312.76 हैक्टर भूमि हस्तान्तरित की गई। जिसका पूंजीगत मूल्य राशि रूपये 6,38,520/– प्रार्थी नगर पालिका ने दिनांक 21.03.2013 को राजकोष में जमा करायें। उक्त आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 03.06.2013 प्रार्थी के नाम स्वीकृत किया गया और वर्तमान जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी नगर पालिका को उक्त भूमि हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात अप्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध इस आशय की अपील प्रस्तुत की कि अप्रार्थी को पुराना खसरा नम्बर 408 में साढे बारह बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 23.12.1971 के आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा किया गया था, इसलिये उक्त खसरा नम्बर 408 के जो नवीन खसरा नम्बर बने है उनका हस्तान्तरण नगर पालिका पुष्कर प्रार्थी को नहीं किया जा सकता। प्रार्थी नगर पालिका पुष्कर को उक्त अपील के तथ्यों की जानकारी आने पर उक्त आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त की, जिसके प्राप्त होने के पश्चात व आवंटन आदेश को देखने पर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 पूर्णतः विधि विरूद्ध शून्य व अप्रभावी होने से निरस्त योग्य है। भू–आवंटन नियम, 1970 के अनुसार नियम 13 में जो भी आवंटन आदेश किये जाने है वह एडवाईजरी कमेटी की सहमति से ही

जिला कलक्टर
अजमेर

किये जा सकते है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 को पारित किया गया वह बिना किसी एडवाईजरी कमेटी के किया गया है। इस प्रकार आवंटन नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। आवंटी ने भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष इस तथ्य को कपट पूर्वक छिपाया कि आवंटी कृषक या भूमिहीन कृषक रहे हो। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन कपट पूर्ण ढंग से कराया प्रकट होता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी ने यह भी जांच नही करी कि आवंटन की जा रही भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 के अन्तर्गत आवंटन योग्य थी या नहीं। आवंटीत भूमि नगर पालिका पुष्कर की सीमा व पराफेरी के सम्बन्ध में जांच नहीं की, इसी प्रकार से नियम 11 के बारे में भी किसी प्रकार की जांच नही की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण आवंटन प्रकिया आवंटन नियमों के प्रतिकूल होने से आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 निरस्त योग्य है। आवंटन की तिथि के पश्चात कभी भी आवंटी का आवंटीत भूमि का कब्जा नही सम्भलाया गया और न ही राजस्व अभिलेख में व राजस्व नक्शें में उक्त आवंटन का कोई इन्द्राज किया गया। आवंटी ने भी कभी भी नियमों के अनुसार आवंटीत भूमि का कब्जा सम्भलाये जाने का निवेदन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश सदैव अप्रभावी रहा है। कथित आवंटन आदेश की कोई पालना में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं भूमि सिवायचक ही रही। उक्त आवंटीत भूमि पर अप्रार्थी आवंटी ने कभी कोई काश्त नहीं की है और न ही उनका कब्जा रहा है और इस प्रकार उन्होने आवंटन नियम के अनुसार आवंटन के नियम 14 की पालना नहीं की है। आवंटन आदेश की जानकारी से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि आवंटन आदेश विधि विरूद्ध है तो उसे किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है। जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रतिबन्धित नहीं करते है। अतः आवंटी अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 को निरस्त किया जाने हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थी की ओर से श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी अभिभाषक उपस्थित आये। जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही लिखित बहस प्रस्तुत की गई । सीधे ही बहस चाही जाने पर उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया नगर पालिका पुष्कर को जिला कलक्टर के आदेश कमांक राजस्व/एफ–12(सी)/12/181 दिनांक 12.11.2012 को पुष्कर क्षेत्र स्थित सिवायचक भूमियाँ कुल खसरा 370 रकबा 312.76 हैक्टर भूमि हस्तान्तरित की गई। जिसका पूंजीगत मूल्य राशि रूपये 6,38,520/– प्रार्थी नगर पालिका ने दिनांक 21.03.2013 को राजकोष में जमा करायें। उक्त आदेश की अनुपालना में नामान्तकरण संख्या 66 दिनांक 03.06.2013 प्रार्थी के नाम स्वीकृत किया गया और वर्तमान जमाबंदी में उक्त आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त हस्तान्तरित भूमि में पुराने खसरा नम्बर 408 की निम्न भूमि भी सम्मिलित हैं–

आधार खसरा नं	रकबा	वर्किंग जमाबन्दी खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा–बिस्वांसी	चौसाला खसरा नं.
2212/2417	0.18	600	01–02–00	408

जिला कलक्टर
अजमेर

2213	0.17	601	02–06–00
2216	0.42		
2226 / 2768	0.74	602	04–12–00
2193	0.12	603	04–09–00
2227 / 2661	0.70		
2230	1.24	605	07–13–00
2229 / 2425	0.33	607	02–01–00
2232	1.89	606	11–14–00
2232	0.40	611	35–05–00
2233	1.60		
2234	3.21		
2235	0.50		
2219	0.10	614	00–16–00
योग	11.60		69–18–00

प्रार्थी नगर पालिका को उक्त भूमि हस्तान्तरित किये जाने के पश्चात अप्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 12.11.2012 के विरूद्ध इस आशय की अपील प्रस्तुत की कि अप्रार्थी को पुराना खसरा नम्बर 408 में साढे बारह बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 23.12.1971 के आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा किया गया था, इसलिये उक्त खसरा नम्बर 408 के जो नवीन खसरा नम्बर बने है उनका हस्तान्तरण नगर पालिका पुष्कर प्रार्थी को नहीं किया जा सकता। प्रार्थी नगर पालिका पुष्कर को उक्त अपील के तथ्यों की जानकारी आने पर उक्त आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त की, जिसके प्राप्त होने के पश्चात व आवंटन आदेश को देखने पर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 पूर्णतः विधि विरूद्ध शून्य व अप्रभावी होने से निरस्त योग्य है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 दिनांक 24.07.1970 को लागू हो गये थे। उक्त नियमों के अनुसार ही आवंटन किया जा सकता था। जो आवंटन आदेश को देखने से ही यह स्पष्ट प्रकट होता है कि आवंटन आदेश उक्त नियमों के अनुसार नही किया गया है एवं उपखण्ड अधिकारी उक्त आवंटन करने के लिये सक्षम नहीं थे। भू–आवंटन नियम, 1970 के अनुसार नियम 13 में जो भी आवंटन आदेश किये जाने है वह एडवाईजरी कमेटी की सहमति से ही किये जा सकते है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 को पारित किया गया वह बिना किसी एडवाईजरी कमेटी के किया गया है। इस प्रकार आवंटन नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र की मांग करने के लिए घोषणा (Proclamation) जारी करना आवश्यक होता है। ऐसी कोई घोषणा जारी की गई हो यह भी अभिलेख से प्रकट नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में उक्त आवंटन आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उपखण्ड अधिकारी ने इस तथ्य की कोई जांच नही की कि उक्त आवंटी कृषक या भूमिहीन कृषक थे। आवंटी के प्रार्थना पत्र में स्वयं को नौकरी करना अंकित किया गया है तथा पटवारी की रिपोर्ट से भी यह प्रकट नहीं है कि आवंटी कृषक रहा हो। आवंटी कृषक हो या काश्तकारी पर आश्रित हो इन तथ्यों को प्रमाणित किये जाने सम्बन्धि कोई दस्तावेज भी पत्रावली पर पेश नहीं किये गये है। आवंटी ने भी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष

जिला कलक्टर
अजमेर

इस तथ्य को कपट पूर्वक छिपाया कि आवंटी कृषक या भूमिहीन कृषक रहे हो। ऐसी स्थिति में उक्त आवंटन कपट पूर्ण ढंग से कराया प्रकट होता है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी ने यह भी जांच नही करी कि आवंटन की जा रही भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 4 के अन्तर्गत आवंटन योग्य थी या नहीं। आवंटीत भूमि नगर पालिका पुष्कर की सीमा व पेराफेरी के सम्बन्ध में जांच नहीं की, इसी प्रकार से नियम 11 के बारे में भी किसी प्रकार की जांच नही की गई। इस प्रकार सम्पूर्ण आवंटन प्रकिया आवंटन नियमों के प्रतिकूल होने से आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 निरस्त योग्य है। आवंटन की तिथि के पश्चात कभी भी आवंटी को आवंटीत भूमि का कब्जा नही सम्भलाया गया और न ही राजस्व अभिलेख में व राजस्व नक्शें में उक्त आवंटन का कोई इन्द्राज किया गया। आवंटी ने भी कभी भी नियमों के अनुसार आवंटीत भूमि का कब्जा सम्भलाये जाने का निवेदन नहीं किया है। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश सदैव अप्रभावी रहा है। कथित आवंटन आदेश की कोई पालना में कोई कार्यवाही नहीं की गई है एवं भूमि सिवायचक ही रही। उक्त आवंटीत भूमि पर अप्रार्थी आवंटी ने कभी कोई काश्त नहीं की है और न ही उनका कब्जा रहा है और इस प्रकार उन्होने आवंटन नियम के अनुसार आवंटन के नियम 14 की पालना नहीं की है। आवंटन आदेश की जानकारी से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि आवंटन आदेश विधि विरूद्ध है तो उसे किसी भी समय अपास्त किया जा सकता है। जिसमें परिसीमा अधिनियम के प्रावधान प्रतिबन्धित नहीं करते है। अतः आवंटी अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 को निरस्त किया जावे। प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत वेस्टन लॉ केस (एससी) सिविल पेज 486 से 462, वेस्टन लॉ केस पी 203 पेज 473 से 475, वेस्टन लॉ केस पी 225 पेज 495 से 496, आर.आर.टी (1) पेज 113 से 116, आर.आर.टी 2014 (1) पेज 597 से 603, आर.आर.डी जन. 2002 पेज 1 से 4, आर.आर.टी 2015 (2) पेज 790 से 795, आर.आर.टी 2014 (1) पेज 117 से 123 प्रस्तुत किए ।

अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील के तथ्यों का खण्डन करते हुए बहस में अपील सदभाविक रूप से प्रस्तुत नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए यह निवेदन किया कि खसरा संख्या 408 में से जो प्रार्थी को दिनांक 12.11.2012 को भूमि आवंटित की गई थी के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी अजमेर में अपील संस्थित की गई एवं उक्त अपील दिनांक 05.12.2013 को स्वीकार की जाकर नगर पालिका पुष्कर का आवंटन आदेश निरस्त किया गया। उपरोक्त भूमि पर अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी काबिज रहे है। इसके इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील सवंत 2031 से 2034, 2035, 2038 में दर्ज है तथा दिनांक 05.12.2013 के आदेश के विरूद्ध नगरपालिका पुष्कर ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन अपील संस्थित की थी। वह अपील दिनांक 28.05.2014 को खारिज होकर राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 05.12.2013 को बहाल रखा गया है एवं निर्णय के पैरा संख्या 19 व 20 में राजस्व मण्डल ने स्पष्टतः निम्न तथ्य अंकित किया है। "19– परन्तु इस प्रकरणों में आज तक राजस्व अभिलेख में आवंटियों का अंकन नहीं हो रखा हैं। जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकृत स्थिति हैं। परन्तु एक बिन्दु पर प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता के तर्क से हम सहमत है कि 1970 में अजमेर तहसील में भू–संशोधन कार्यवाही प्रारम्भ होने से चौसाला जमाबन्दी नहीं बनायी गई थी। इस बिन्दु पर प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्थान राजपत्र

जिला कलक्टर
अजमेर

27 मार्च 1986 का अवलोकन किया। उसमें राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 19.02.1986 में यह अंकन है कि उक्त विभाग की पूर्व अधिसूचना 4 (8) खा.ग्रुप 1(7) दिनांक 13.07.1970 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01.10.1970 अनुसार अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत अजमेर जिले के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था। इनमे से अजमेर तहसील के 153 ग्राम जिसमें क0सं. 114 पर पुष्कर भी शामिल है, उक्त कार्यवाही सम्पन्न हो जाने से पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाही बंद की गई। तत्पश्चात् राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.1986 द्वारा इन ग्रामों में पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी जारी की गई इसमें पुष्कर भी शामिल था। तत्पश्चात उक्त रिकॉर्ड सीज हो जाने से हाल जमाबंदी में आवंटन आदेश का अंकन नहीं होने का तथ्य विश्वसनीय माना जा सकता है। 20- प्रत्यर्थीगण की ओर से इस बिन्दु पर ग्राम पुष्कर की भू-संशोधन जमाबन्दी के खाता संख्या 395, 401, 402, 144, व 428 की नकल होने के लिए तहसील पुष्कर में आवेदन किया गया। जिस पर यह टिप्पणी अंकित की गई कि "चाही गई प्रतियां भू-संशोधन रिकॉर्ड से सम्बन्धित हैं इन रिकार्ड की प्रतियां दिया जाना संभव नहीं हैं, क्योंकि यह रिकॉर्ड सीज किया जा चुका है" स्वाभाविक है कि भू-संशोधन के रिकार्ड में अमल तो किया गया होगा परन्तु उक्त रिकॉर्ड सीज होना तहसीलदार पुष्कर ने बताया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस में उठाया गया यह तर्क सही प्रतीत होता है कि भू-संशोधन का रिकार्ड सीजशुदा है।" उपरोक्त अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि दिनांक 28.05.2014 के पश्चात नगर पालिका पुष्कर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 10 के अधीन स्पेशल अपील प्रस्तुत की थी जिसे राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 24.11.2014 को खारिज कर दिया गया, तथा इस न्यायालय में दिनांक 12.01.2015 की अपील संस्थन के पूर्व राजस्व मण्डल के द्वारा उनके आदेशो की पालना नही किये जाने बाबत अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई थी। जिस पर राजस्व मण्डल द्वारा चाराजोही किये जाने के अनुक्रम में उपरोक्त तथ्यों का लोप कर इस न्यायालय में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रार्थना पत्र कपटपूर्ण आधार पर संस्थित होने के कारण अवधारर्णीय नहीं है एवं उपरोक्त तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किये गये और न ही उपरोक्त अपील मयाद से अन्दर म्याद है क्योंकि उपरोक्त आवंटन दिनांक 23.12.1971 से लगभग 44 वर्ष अवधि पश्चात यह आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विशेषतः ऐसी स्थिति में जब स्वयं अपीलार्थी के वर्णितानुसार राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष संस्थित अपील में दिनांक 05.12.2013 के आदेश का ही अपीलार्थी ने उल्लेख किया है एवं उक्त आदेश से भी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की विनिर्दिष्ट समयावधि 60 दिवस में अपील प्रस्तुत नही की गई है और न ही विलम्ब को क्षम्य किये जाने बाबत कोई पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 के अधीन अपीलार्थी पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में धारा 96 व्यवहार प्रकिया सहिता अधीन कोई पृथक से अपील संस्थन किये जाने बाबत अनुज्ञा ली गई है तथा दिनांक 23.12.1971 का आवंटन तत्समय प्रचलित विधि अनर्गत पूर्णतः विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में किया गया था। यह तथ्य सुस्पष्ट है कि प्रार्थी के नाम दिनांक 12.11.2012 के आवंटन के पूर्व ही अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी का आंवटन प्रभाव में था। जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया था। जहाँ तक अप्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम उपरोक्त आवंटन किया गया था। वह तत्समय प्रचलित सम्पूर्ण नियमों की पूर्ण अनुपालना करते हुए किया गया था एवं

जिला कलक्टर
अजमेर

तत्समय अजमेर में भू–संशोधन प्रभावी होने के कारण उनका नाम जमाबंदी में अमल–दरामद किया गया था। जहा तक उपरोक्त भूमि पर कब्जा होने का आक्षेप है वह खसरा गिरदावरी से प्रमाणित होता है एवं यह अपील दिनांक 23.12.1971 के आवंटन से लगभग 44 वर्ष पश्चात दिनांक 12.01.2015 को प्रस्तुत की गई है एवं दिनांक 23.12.1971 को तत्समय प्रचलित प्रावधानो अनुसार ऐसी कोई विधिक बाध्यता नहीं थी कि कर्मचारी को भूमि आवंटित नही की जा सकती हो। अप्रार्थी ने उक्त जवाब में खण्डन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्ययालय एवं राजस्व मण्डल के दृष्टान्तो की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह कथन किया कि अप्रार्थी हरिजन समुदाय के है तथा दिनांक 23.12.1971 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में ऐसी कोई बाध्यता नहीं थी कि सरकारी कर्मचारी को भूमि आवंटित नहीं की जावे। इस पहलू पर उन्होने मा० राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 1999(3) WLC Pg NO 59 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय जो पूर्ण समानान्तर श्रेणी का उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत किया। इस प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2015 को प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थी को यह संज्ञान राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 05.12.2013 से हो गया था कि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 23.12.1971 प्रभावी है एवं इसके रहते हुए पश्चातवर्ती आवंटन दिनांक 12.11.2012 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है यद्यपि यह अपील दिनांक 23.12.1971 के आवंटन से लगभग 44 वर्ष अवधि पश्चात न्यायालय में धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया सहिता की अनुमति के बिना प्रस्तुत की गई है जो आपने आप में न्याय का उपहास (Travesty Of justice) के परिदृश्य में आती है। इसके साथ–साथ उपरोक्त दिनांक 05.12.2013 का जब राजस्व अपील अधिकारी का आदेश हो चुका था तो उसके उपरान्त भी नियत समयावधि में अपील संस्थित नही किये जाने का कोई कारण नही है। इस पहलू पर अप्रार्थी के न्यायिक दृष्टांत 2007 (2) Pg NO 1443 प्रस्तुत है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने विस्तार से भी तथ्यों के विवेचन के बाद यह पाया है कि इस प्रकार के मामलों में इतने पुराने आवंटन को रद्द किया जाना उचित नही है। इन्ही न्यायिक दृष्टांत की सततता में अन्य दृष्टांत 2011(1) RRT pg NO 383 State of Rajasthan Vs Kishan singh राजस्थान उच्च न्यायालय का दृष्टांत 2016 RBJ pg No 418 Ramkaran V's state of Rajasthan RRT 2007 (1) pg no 18 Sattar & Anr. Vs. Brijlal & Ors इस न्यायालय के समक्ष अन्य भी दृष्टात प्रस्तुत करते हुए उन्होने यह कथन किया कि यह अपील प्रार्थी ने इस न्यायालय से कई सारभूत तथ्य एवं राजस्व मण्डल के पारित निर्णय जो दिनांक 12.01.2015 के पूर्व ही पारित किये गये थे को अपील में उल्लेखित नही किये गये है क्योंकि दिनांक 05.12.2013 के राजस्व अपील अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर में धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन अपील संस्थित की थी। उसका निर्णय भी दिनांक 28.05.2014 को किया गया एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 10 के अधीन स्पेशल अपील प्रस्तुत की वह भी दिनांक 21.10.2014 को खारिज की गई एवं उनके द्वारा इसी तरह के आवंटन के बाबत संस्थित अपील में दिनांक 08.12.2014 के राजस्व मण्डल के आवमानना याचिका पर दिनांक 08.12.2014 के आदेश को बताया गया है। यह तथ्य पत्रावली में प्रार्थना पत्र के ड्राफ्ट से स्पष्ट है कि उपरोक्त तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जबकि उपरोक्त सभी आदेश इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील दिनांक 12.01.2015 के पूर्ववर्ती दिनांकों के है जिनका

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रकटीकरण किया जाना प्रार्थी के लिए विधि से आवश्यक था। इस पहलू पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में मा. सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित दृष्टान्त 2004 SAR (Civil) Pg no 1 रामचन्द्र सिंह बनाम सावित्री देवी व अन्य में प्रतिपादित दृष्टान्त के सिद्धान्तो की और इसका जोरदार विरोध कर न्यायालय के समक्ष यह अपील जानबूझकर सारभूत तथ्यो का लोप कर प्रस्तुत किये जाने के कारण भी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। इस प्रकरण में मूलतः यह आवंटन निरस्त करने का आधार लिया गया है कि आवंटी दिनांक 23.12.1971 को लोक सेवक था। इस बाबत उपरोक्त दृष्टान्तो से स्पष्ट है तत्समय आंवटन में ऐसी कोई बाध्यता नहीं रही है कि लोक कर्मचारी जो भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता हो को आवंटन नही किया जा सकता हो। जहां तक अपील मे कब्जे के बाबत आक्षेप किया गया है। उसके बाबत राजस्व रिकॉर्ड खसरा परिवर्तनशीन जो आवंटन के पश्चातवर्ती दिनांको का है में आवंटीधारियो को कब्जा होना प्रमाणित होता है क्योंकि आवंटन दिनांक 23.12.1971 का था जिसका विकमी साल कलेन्डर से सम्वत 2028 बनता है जबकि इसके पश्चातवर्ती खसरा परिवर्तनशील में आवंटिधारी का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है एवं दिनांक 28.05.2014 के राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के पैरा संख्या 19 व 20 में तो भू–संशोधन के दौरान आवंटिधारी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज होना परिलक्षित होता है तथा यह कही भी अपीलार्थी का कथन नही है कि उनके नाम दिनांक 12.11.2012 को आवंटन करते समय दिनांक 23.12.1971 के आवंटन को निरस्त कर दिया गया हो। पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उपरोक्त आवंटिधारी ने कपटपूर्ण तथ्यों के आधार पर आवंटन प्राप्त किया हो बल्कि दिनांक 23.12.1971 के उपरोक्त पारित आवंटन आदेश से स्पष्ट है कि कई व्यक्तियों को समेकित कर एकीकृत आवंटन आदेश पारित किया गया है एवं इसके उदघोषणा पटवारी रिपोर्ट आदि प्राप्त की गई है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दृष्टान्तो के प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुक्रम में 44 वर्ष अवधि पश्चात आवंटन को निरस्त किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रतिपादित दृष्टान्तो के अनुक्रम में न्याय के उपहास की श्रेणी में होगा। यह तथ्य भी पत्रावली पर प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तो से स्पष्ट है कि प्रचलित नियम राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्तीकरण आवंटन (राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम) संरक्षित नियमों में तथाकथित आवंटन में दिनांक 11.01.1983 में लोक कर्मचारी की आवंटन की पात्रता को प्रवारित किया गया है जबकि तथाकथित आवंटन उपरोक्त दिनांक 11.01.1983 के पूर्ववर्ती का होना परिलक्षित होता है एवं यह तथ्य भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तो से स्पष्ट है कि दिनांक 11.01.1983 की अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रभाव नही किया गया है। यद्यपि इस पत्रावली में ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं है कि आवंटी तत्समय राजकीय सेवा में सेवारत था किन्तु यदि उपरोक्त आवंटी राजकीय सेवा में सेवारत होता तो भी उपरोक्त दृष्टातो के अनुक्रम में उसे इस कारण से ही अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता था कि वह राजकीय सेवा में सेवारत है जहा तक तथाकथित आवंटन होकर कब्जा दिये जाने का प्रश्न है वह इस पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील की नकलो से ही प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी का हो गया था एवं पत्रावली पर केवल मात्र रजिस्टर ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करवाया गया है। जिसकी आदेशिका दिनांक 22.12.1973 अपने आप में उदघोषणा की श्रेणी में आती है तथा दिनांक 22.11.1973 के पश्चात आवंटन दिनांक 23.12.1973 को 50 वर्ष पश्चात Travicaty Of justice के

जिला कलक्टर
अजमेर

अधीन अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। विशेषतः जब उपरोक्त समस्त पहलूओं को इस अपील संस्थन दिनांक 12.01.2015 के पूर्व ही राजस्व अपील अधिकारी सहित राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया जा चुका है तथा प्रार्थी का आवंटन आदेश निरस्त हो चुका है। साथ ही वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के एस.बी सिविल रिट पिटीशन नं. 899/2015 उनवान नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 जिसमे अवधारित किया गया कि दो राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित विवादित आदेशों में हस्तक्षेप न करते हुए इन रिट याचिकाओं का स्पष्टीकरण के साथ निपटारा किया जाता है "जिला कलक्टर अजमेर से अपेक्षा की जाती हैं कि वे इस आदेश की प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा आवंटन रद्द करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर निर्णय ले। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2011 (1) Page No. 383, Supreme Appeals Reporter (Civil) Page No. 698, RBJ(8) 2001 Page No. 125-127, 2013 DNJ (SC) Popat Bahiru Govardhane Etc. Vs. Special Land Acquisition Officer Page No. 919, RRJ (6) 1999 Page No. 412, Supreme Appeals Reporter (Civil) 2004 Page No. 1-9, Rajasthan Revenue Times,p, 122, 11/12.2.2015 {RRT 2015 (1)} Page No. 232, RRJ (23) 2016 Page No. 418, RRT 2007 (1) Page No. 18, RRT 2007(2) Page No. 1443, RRT 2007(2) Page No. 1443 -1447, RRT 2007(2) Page No. 1240 -1244, Western Law Cases (Raj.) 1998(1) Page No. 363-366, Western Law cases (Raj.) 1999 (3) Page 59-60 प्रस्तुत किये।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड एवं दस्तावेज अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने से वादग्रस्त भूमि नगर पालिका पुष्कर का हस्तान्तरित कि गई है। अतः अप्रार्थी का आवंटन निरस्त फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में मूल आधार केवल मात्र यह है कि आवंटीधारी आवंटन दिनांक 23.12.1971 को राज्य सरकार की सेवा में सेवारत था इस बाबत अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत गोपीराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्पष्ट है यह अवधारित है कि उक्त प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.01.83 से किया गया है जबकि उपरोक्त आवंटन दिनांक 23.12.71 का है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत जसराज बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान से स्पष्ट है यह सिद्धान्त अवधारित किया गया है कि दिनांक 11.01.83 का परिपत्र भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होगा तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धान्त न्याय के उपहास Travesty Of justice के अनुक्रम में भी 45 वर्ष पश्चातवर्ती परिपत्र के अनुसार दिनांक 23.12.1971 का केवल मात्र इस आधार पर प्रभावी नहीं किया जा सकता की आवंटी का आवंटन निरस्त किया जावे। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों विधिक दृष्टांतो के परिशीलन में अप्रार्थी का आवंटन दिनांक 23.12.1971 के पश्चात राजस्व रेकार्ड खसरा परिवर्तनशील में उनके भौतिक आधिपत्य काश्त को दृष्टिगत करते हुए एवं राजस्व अपील अधीकारी एवं राजस्व मण्डल के आदेशो को दृष्टिगत करते हुए राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 28.05.2014 में पैरा संख्या 19, 20 में भू–संशोधन दौरान उपरोक्त आवंटी को प्रदत्त अधिकारो के अनुक्रम में एवं इससे साथ साथ पूर्व में ही राजस्व

जिला कलक्टर
अजमेर

अपील अधिकारी, अजमेर के अपील सं. 412/2013/75 से 416/2013/75 निर्णय दिनांक 05.12.2013 एवं राजस्थान मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 23.05.2014 द्वारा दिनांक 23.12.1971 के आदेश की अनुपालना में राजस्व रेकार्ड में आवंटन धारियो को पूर्व में ही खातेदारी के बाबत आदेश प्रदत्त किये गए है। प्रार्थी के द्वारा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में स्पेशल अपील एल.आर/3585/2014/अजमेर व एल.आर/3587/2014/अजमेर व एल.आर/3588/2014/अजमेर से एल. आर/3590/2014/अजमेर दिनांक 21.10.2014 को खारिज की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के एस.बी सिविल रिट पिटीशन नं. 899/2015 उनवान नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 जिसमे अवधारित किया गया कि दो राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित विवादित आदेशों में हस्तक्षेप न करते हुए इन रिट याचिकाओं का स्पष्टीकरण के साथ निपटारा किया जाता है "जिला कलक्टर अजमेर से अपेक्षा की जाती हैं कि वे इस आदेश की प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा आवंटन रद्द करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों पर निर्णय ले। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर